भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3541

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

श्रम सुधार

3541. डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्रीमती पूनम महाजन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र और राज्य सरकारों को श्रम कानून सुधारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि वे निवेश में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसबीआई ने इस मुद्दे पर शोध रिपोर्ट 'एकोरेप' तैयार की है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या आज की तिथि तक श्रम कानून सुधारों की दिशा में की गई पहल "बहुत मामूली" है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या घरेलू कामगारों के अधिकारों को पहचानने और बेहतर कार्य दशाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से राष्ट्रीय नीति को जल्द से जल्द लाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम कानूनों में सुधार एक सतत प्रक्रिया है ताकि समय की मांग को पूरा करने के लिए विधायी प्रणाली को अद्यतन किया जा सके जिससे उन्हें अधिक प्रभावी, लचीला और उभरते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप बनाया जा सके। मंत्रालय ने विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत उपबंधों को सरलीकृत, समामेलित एवं तर्कसंगत बनाकर क्रमश: मजदूरी; औद्योगिक संबंध; सामाजिक सुरक्षा; और

जारी-----2/-

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं से संबंधित चार श्रम संहिताओं के प्रारूपण हेतु कदम उठाए हैं। इन पहलों से अनेक श्रम विधानों से उत्पन्न होने वाली अनुपालन संबंधी कठिनाई कम हो जाएगी और उद्यमों की स्थापना में सुविधा होगी और इस प्रकार देश में व्यापार तथा उद्योग के विकास के लिए वातावरण तैयार होगा और साथ ही कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी पहलुओं से समझौता किए बिना रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

मंत्रालय को भारतीय स्टेट बैंक से श्रम सुधारों पर 'इकोरैप' नामक कोई अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) और (च): घरेलू कामगारों के संबंध में एक प्रारूप राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। घरेलू कामगारों पर प्रस्तावित प्रारूप राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) मौजूदा विधानों में घरेलू कामगारों का समावेशन।
(ii) घरेलू कामगारों को असंगठित कामगारों के रूप में पंजीकरण कराने का अधिकार होगा। इस तरह के पंजीकरण से अधिकारों और लाभों तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी।
(iii) अपने स्वयं के संघों/यूनियनों के गठन का अधिकार।
(iv) न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच।
(v) उनके कौशल उन्नयन का अधिकार।
(vi) दुर्व्यवहार और शोषण से घरेलू कामगारों को संरक्षण।
(vii) घरेलू कामगारों की शिकायत के निवारण के लिए न्यायालयों, अधिकरणों तक पहुंच।
(viii) निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन के लिए एक तंत्र की स्थापना।
(ix) घरेलू कामगारों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।

****